

भाग-V

3

पत्र सं०:- 49274/2020

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार से किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है)

18- राज्य सरकार की सिफारिश

(उपर्युक्त भाग ख या भाग ग भाग घ में किसी

अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल

टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाए)

CF, Banarasi की संस्तुति  
के आधार पर स्वीकृतार्थ  
संस्तुति की जाती है।

28/8

दिनांक- 28/8/2020

स्थान- .....

Pankaj Misra  
हस्ताक्षर  
Chief Conservator Forest/Nodal Officer  
Forest Conservation Act. 1980  
U.P. Lucknow  
नाम-

सरकारी मोहर